

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 15/2020

दायर दिनांक 06.01.2020

| वादीगण | प्रतिवादीगण |
|---|--|
| 1. कमला पत्नि स्योजीराम 2. प्रकाश पुत्र स्योजीराम 3. सुनिता पुत्री स्योजीराम 4. नानी पुत्री स्योजीराम 5. राजूराम पुत्र स्योजीराम समस्त जातिगण मेघवंशी निवासी खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। | 1. मूलाराम पुत्र झुंताराम 2. दौलाराम पुत्र पाबुराम 3. बजरंग पुत्र पाबुराम 4. सिणजारी पुत्री पाबुराम 5. मोहनी पुत्री पाबुराम 6. भंवरी पत्नि पाबुराम 7. केशाराम पुत्र सांवताराम 8. रामूराम पुत्र सांवताराम 9. महावीर पुत्र उमाराम 10. नेमीचन्द पुत्र उमाराम 11. राजू पुत्री उमाराम 12. कोशलया पुत्री उमाराम 13. राधा देवी पत्नि उमाराम 14. हरली देवी पत्नि भागीरथराम 15. छोटीदेवी पुत्री स्योजीराम समस्त जाति मेघवाल निवासी खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 16. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0। |

दावा बाबत
 घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
 अन्तर्गत धारा- 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री विक्रम कुड़ी वकील वादी।
2. श्री ज्योति प्रकाश दायमा वकील प्रतिवादीगण।

--: निर्णय :-

दिनांक 05.10.2021

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं0 732/534 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा वाकै सरहद खाखोली में अवस्थित है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त खेत का मौखिक बंटवारा हो रखा है। उक्त मौखिक बंटवारे के अनुसार उक्त वाद पेश किया गया है। एवं उक्त बंटवारे के संबन्ध में एक लिखावट दिनांक 09.01.1987 को पक्षकारों के मध्य हो रखी है।

यह है कि खेत खसरा सं0 732/534 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा वाकै सरहद खाखोली में वादीगण का ही शुरु से कब्जा काश्त चला आ रहा है इसके अलावा अन्य का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा मौखिक बंटवारे में भी उक्त सम्पूर्ण खेत वादीगण के ही बंट में आया हुआ है। जिसमें वह कृषि कार्य करके अपना अपने परिवार का पालना पोषण कर रहा है।

यह है कि प्रतिवादी सं0 01 ता 14 को मौखिक बंटवारे के अनुसार दुसरे खेतों में खातेदारी दी जा चुकी है। जिन पर वह निर्बाद रूप से कब्जा काश्त है एवं खेत खसरा सं0 732/534 रकबा 05.16 बीघा में वादीगण का हक अधिकार होने से प्रतिवादी संख्या 01 ता 14 का नाम हटाया जाना आवश्यक है। जिससे दावा बाबत रिकॉर्ड दुरुस्ती का करना आवश्यक है।



सहायक कलक्टर
 डीडवाना (नागौर)

प्रार्थना वादीगण इस प्रकार है-

यह है कि वादीगण के हक अधिकार बंट व कब्जे काश्त का खेत खसरा नम्बर 732/534 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा वाकै सरहद खाखोल में से प्रतिवादी सं० 01 ता 14 का नाम हटाया जाना आवश्यक है तथा वादीगण व प्रतिवादी सं० 01 ता 15 कि एकल खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश पारित किया जावें एवं बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं० 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 ने इकबालिया जबाब प्रस्तुत किया जिसे वाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान् दावानुसार/इकबालिया जवाब के मुताबिक खातेदारी चाहते हैं। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में, पक्षकारान् दावा/इकबालिया जवाब मुताबिक दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, दावा/इकबालिया जवाब के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद खाखोली के खेत खसरा सं० 732/534 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर राजीनामा अनुसार खोतदारी घोषित की जाती है एवं प्रतिवादी सं० 01 ता 14 का नाम वर्तमान खातेदारी से हटाकर, वादीगण व प्रतिवादी सं. 15 कि खातेदारी घोषित की जाती है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।


(कार्तिकेय मीणा)
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर

डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को सरे इजलास में सुनाया

गया।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर

डीडवाना

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 15/2020

दायर दिनांक 06.01.2020

| वादीगण | प्रतिवादीगण |
|--|--|
| 1. कमला पत्नि स्योजीराम 2. प्रकाश पुत्र स्योजीराम 3. सुनिता पुत्री स्योजीराम 4. नानी पुत्री स्योजीराम 5. राजूराम पुत्र स्योजीराम समस्त जातिगण मेघवंशी निवासी खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। | 1. मूलाराम पुत्र झुंताराम 2. दौलाराम पुत्र पाबुराम 3. बजरंग पुत्र पाबुराम 4. सिणजारी पुत्री पाबुराम 5. मोहनी पुत्री पाबुराम 6. भंवरी पत्नि पाबुराम 7. केशाराम पुत्र सांवताराम 8. रामूराम पुत्र सांवताराम 9. महावीर पुत्र उमाराम 10. नेमीचन्द पुत्र उमाराम 11. राजू पुत्री उमाराम 12. कोशलया पुत्री उमाराम 13. राधा देवी पत्नि उमाराम 14. हरली देवी पत्नि भागीरथराम 15. छोटीदेवी पुत्री स्योजीराम समस्त जाति मेघवाल निवासी खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 16. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0। |

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनांक 05.10.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री विक्रम कुड़ी वकील वादी व श्री ज्योति प्रकाश दायमा वकील प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद खाखोली के खेत खसरा सं0 732/534 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर राजीनामा अनुसार खोतदारी घोषित की जाती है एवं प्रतिवादी सं0 01 ता 14 का नाम वर्तमान खातेदारी से हटाकर, वादीगण व प्रतिवादी सं. 15 कि खातेदारी घोषित की जाती है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
 खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।
 बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 05.10.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।


 सहायक कलक्टर
 डीडवाना (नागौर)

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|-------|------|---|-------|------|
| स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक | - | | स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


सहायक कलसेक्टर
डीडवाना
(नागौर)